



2026:AHC:37233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2496/2026

कांस्टेबल फायरमैन विनोद कुमार और 17 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अरविंद कुमार तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त है और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमत से याचिका का निर्णय नये सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ताओं जिनकी संख्या 18 हैं, का मामला यह है कि याचिकर्ता 27/07/2002, 09/01/2003, 21/07/2021, 12/02/2002, 23/12/2003, 01/12/2000, 18/06/2001, 07/07/2003, 06/04/1999, 06/08/2002, 01/09/2001, 22/02/2002, 01/11/2002, 21/07/2000, 11/09/2001, 21/03/2003, और 17/07/2002 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे तथा उसके उपरांत वे सेवानिवृत्त हो गए। 09/01/2003, 31/01/2019 और 28/02/2019, 31/01/2020, 31/09/2017, 31/05/2017, 31/07/2020, 31/07/2019, 30/09/2017, 01/09/2019, 31/07/2018, 28/02/2019, 30/11/2019, 30/11/2017, 30/09/2018, 31/03/2020 और 31/07/2019। याचिकर्ताओं के अनुसार कांस्टेबल पद के विज्ञापन के प्रकाशन के उपरांत, याचिकर्ताओं को सेना में सैनिक के रूप में की गयी सेवाओं की गणना करते हुए वेतन संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके वे अधिकारी थे। इसके लिए याचिकर्ताओं ने रिट-ए संख्या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3741/2023 दायर की, जिसका निस्तारण करते हुए प्रतिवादीयों को याचिकर्ताओं के दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्थापना द्वारा 07/08/2023 को अस्वीकृत कर दिया गया था।

4. इसी को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के रिट-ए संख्या 10689/2024 (सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) के निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं, जिसमें 23/12/2020 के सरकारी आदेश में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के संबंध में वर्गीकरण को नकार दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अब अंतर-न्यायालयी अपील, विशेष अपील संख्या 1233/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य), राज्य सरकार की अपील निरस्त होने के मामले के दायरे में आ गई है।

6. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के अनुसार तर्क प्रस्तुत किया कि यह मामला सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष अपीलीय पीठ ने भी पुष्ट किया है।

7. मैंने न्यायालय में दिए गए इस निवेदन को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

8. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता पूर्व सैन्यकर्मियों हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त) मामले में निम्नानुसार पठित है:

“1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दायर उपरोक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जिनका चयन 2018 में उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस में कांस्टेबल जीडी के पद पर हुआ था, पूर्व सैनिक कर्मियों के रूप में उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के अनुसार वेतन संरक्षण प्रदान न करने के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा लिए गए भेदभावपूर्ण रवैये से व्यथित हैं। सभी याचिकाकर्ताओं का चयन और नियुक्ति पूर्व-सैनिकों की श्रेणी में हुई थी और उनका निवेदन है कि यदि एक ही चयन के परिणामस्वरूप, चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग समय पर चार बैचों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो राज्य द्वारा प्रशिक्षुओं के पहले बैच को वेतन संरक्षण प्रदान करना और अन्य प्रशिक्षुओं को केवल इस आधार पर इससे वंचित करना उचित नहीं है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सरकारी आदेश में पूर्व-सैनिकों को उपरांत की तिथि से वेतन संरक्षण न देने का निर्णय लिया गया था।

3. यह निवेदन किया जाता है कि चयन प्रक्रिया के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना आवश्यक था, किंतु कोविड-19 महामारी की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश निदेशालय ने प्रशिक्षण नहीं भेजा। पुलिस प्रशिक्षण विभाग ने 25 जुलाई, 2020 के अपने आदेश के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को चार बैचों में विभाजित किया, जिन्हें अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना था। पहला बैच अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, दूसरा बैच मार्च 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, तीसरा बैच अक्टूबर 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और अंतिम और चौथा बैच मई 2022 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें दूसरे बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जो मार्च 2021 से प्रारम्भ होकर सितंबर 2021 तक छह महीने तक चला। जब प्रथम बैच अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर रहा था, तब 23 दिसंबर 2020 के सरकारी आदेश से पहले उनके संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया था, जिस तिथि को सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि चयनित उम्मीदवारों, जो पूर्व सेना कर्मी हैं, को अब वेतन सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। सरकारी आदेश में आगे यह भी प्रावधान किया गया था कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित अनुच्छेद 22 में निहित सरकारी आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

“उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशन जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षाणीय (अनदेखा) है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षाणीय (अनदेखा) नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु-

(i) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(iii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा में प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षाणीय (अनदेखा) नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

4. उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उनके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरुद्घटित (रीओपेन) नहीं किये जायेगे।”

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जनवरी 2021 में पहले बैच का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात, उन्हें वेतन संरक्षण प्रदान किया गया था तथा उदाहरण के लिए नव-चयनित कांस्टेबल कुलदीप सिंह (पीएन.ओ. 202641386) का वेतन निर्धारण दिनांक 24 जनवरी, 2024 को अभिलेख पर लाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि पहले बैच को लाभ दिए जाने के उपरांत, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में चयनित उम्मीदवार जो पूर्व सैनिक थे उन्हें यह लाभ नहीं दिया गया।

6. उपरोक्त तर्क रिट याचिका के परिच्छेद 14 में उठाया गया है जिसमें उन विभिन्न अन्य कांस्टेबलों का विवरण दिया गया है जिन्हें पिछले वेतन संरक्षण का लाभ मिला था तथा वे पूर्व

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सैनिक होने का दावा कर रहे थे। परिच्छेद 14 के उत्तर में, प्रति शपथपत्र में, परिच्छेद 16 के माध्यम से यह कहा गया है:

रिट याचिका के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित तथ्य इस सीमा तक स्वीकार किए जाते हैं कि 11.10.2020 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल कुलदीप सिंह (पीएनओ संख्या 202641386) की नियुक्ति के समय दिनांक 26.08.1977 तथा 18.05.1983 के सरकारी आदेश प्रभावी थे वर्तमान में राज्य सरकार की सेवा में पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के लिए दिनांक 23.12.2020 का सरकारी आदेश प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, अर्थात् राज्य सरकार की सेवा में सरकारी आदेश जारी होने की तिथि को या उसके पश्चात नियुक्त किए गए पूर्व सैनिकों के मामले इस आदेश के अंतर्गत आएंगे।

7. उपर्युक्त प्रतिवाद के अनुच्छेद 14 में दिए गए कथनों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कुलदीप सिंह को प्रशिक्षण के लिए प्रथम बैच में भेजा गया था किन्तु उन्हें 11.10.2020 को नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया था, जब 26.08.1977 और 18.05.1983 के सरकारी आदेश लागू थे इसलिए उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। हालांकि पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में 23.12.2020 के सरकारी आदेश के लागू होने के पश्चात, उन्हें उनके पूर्व पद के वेतन संरक्षण का अधिकारी नहीं माना गया तथा इसलिए वर्तमान रिट याचिकाकर्ता को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए वेतन संरक्षण से वंचित किया गया है क्योंकि उनका प्रशिक्षण प्रथम बैच के प्रशिक्षण के उपरांत पूर्ण हुआ, जब कि याचिकाकर्ता भी प्रथम बैच की तरह प्रशिक्षु थे जो उपरांत में कांस्टेबल बने। इस प्रकार सभी नियुक्तियों का चयन वर्ष 2018 में आयोजित चयन और भर्ती के अनुसार किया गया था। और इसलिए वे वेतन समानता का दावा करते हैं।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने वेतन संरक्षण से इन्कार करने वाले सरकारी आदेश के अंतर्गत लिए गए दृष्टिकोण का बचाव करते हुए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्रसाद 20225 एससीसी 461 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया है जिसमें पूर्व सैन्य कर्मियों को वेतन संरक्षण का लाभ देने से इन्कार करने वाले केन्द्र सरकार के नियमों को कायम रखा गया था, इसलिए यह निवेदन किया गया है कि वेतन संरक्षण लाभ से इन्कार करने में सरकार की कार्यवाही में कोई कमी नहीं पाई जा सकती जिससे इसे अनुचित, भेदभावपूर्ण या मनमाना जा सके। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्णय के परिच्छेद 4.5 पर भरोसा किया है जो इस प्रकार है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5.4 अतः सरकारी सेवा में प्रतिवादी का वेतन निर्धारण सीसीएस आदेश 1986 के परिच्छेद 8 के पूर्णतः अनुरूप था। परिच्छेद 8 में यह प्रावधान नहीं है कि सरकारी सेवाओं में पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्ति सशस्त्र बल कर्मियों को उनके अंतिम वेतन के बराबर मूल वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा मानना सीसीएस आदेश के परिच्छेद 8 का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितिओं में उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन और निर्णय देने में गंभीर त्रुटि का है कि सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्ति पर सेवा निवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को सशस्त्र बल कर्मियों के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश सीसीएस आदेश 1986 के परिच्छेद 8 के विपरीत होने के कारण अस्थिर है।

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तों की सुनवाई और अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत मैं पाता हूँ कि इस याचिका में याचिकाकर्ताओं के साथ किए जा रहे भेद-भाव को चुनौती दी गई है न कि उस प्रासंगिक प्रावधान को जो सरकारी आदेश में पूर्व सैनिक कर्मियों को सरकारी गैर-रक्षा प्रतिष्ठानों में पुनर्नियुक्ति के दौरान वेतन संरक्षण का लाभ देने से अस्वीकृत करता है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 एससी 4404 मामले में दिए गए निर्णय पर जोर दिया है तथा तर्क दिया है कि केवल काउंसलिंग न होने और उसमें विलंब होने मात्र से समान चयन प्रक्रिया के अंतर्गत समान रूप से नियुक्त शिक्षकों के साथ भेद-भाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने निर्णय के परिच्छेद 15 पर भरोसा जताया, जो इस प्रकार है:

अपीलकर्ता का मामला राकेश गौर (पूर्वोक्त) के मामले से अधिक मिलता-जुलता था, जिन्होंने 05.11.2009 को प्रवेश लिया था। इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए, हमारा स्पष्ट मत है कि खंडपीठ ने दिनेश चंद्र दामोर (पूर्वोक्त) के मामले को लागू करने में गलती की है, जबकि उन्हें अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त) तथा राकेश गौर (पूर्वोक्त) के निर्णयों में दिए गए तर्क को इस मामले के तथ्यों पर लागू करना चाहिए था। अंकुल सिंघल(पूर्वोक्त) मामले में जैसा कहा गया था, शैक्षणिक सत्र 2009-10 में प्रवेश पाने वाले छात्रों के समरूप समूह के बीच आपसी भेदभाव करना अनुचित होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था, यह नहीं हो सकता है कि काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश पाने वाले छात्र स्नातक में 50% से कम अंक होने पर भी पात्र हो, जबकि काउंसलिंग के उपरांत के दौर में प्रवेश पाने वाले अन्य छात्र पात्र न हों इसी तर्क के आधार पर राकेश गौर(पूर्वोक्त) मामले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में राहत दी गई थी। राकेश गौर (पूर्वोक्त) मामला अपीलकर्ता के मामले से मिलता जुलता था। जो नियम एक पर लागू होता है वही नियम दूसरे पर भी लागू होना चाहिए।

11. अतः इस याचिका में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण चार अलग-अलग बैचों में आयोजित किए जाने के कारण उपरांत में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं को उसी चयन के चयनित उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने के दौरान दी गई वेतन सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। प्रतिवादियों की ओर से इस बातसे इनकार नहीं किया गया है कि प्रशिक्षण के लिए दूसरे बैच में भेजे गए सभी याचिकाकर्ताओं को उसी विज्ञापन के अंतर्गत उसी चयन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए चयनित किया गया था। प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है और एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के उपरांत, अंतिम रूप से प्रकाशित और घोषित चयन सूची में विचार किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार, नियुक्ति प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले उम्मीदवार के लिए चयनित सूची तैयार हो जाने के उपरांत चयन का कोई और चरण शेष नहीं रहता है। इसलिए, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और अतः न्यायालय के विचार में, यदि प्रतिवादियों ने प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षुओं को विभिन्न समूहों में विभाजित करके अलग-अलग तिथियों पर प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्णय लिया है और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ऐसे प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी जा रही है, तो उनके साथ वेतनमान, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक जैसे सेवा लाभों के मामले में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठता के मामले में भी, केवल चयन सूची का ही पालन किया जाना चाहिए। मनीलाल (उपरोक्त) मामले में उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले को पूर्ण रूप से आच्छादित करता है। न्यायालय ने उसमें यह माना था कि समरूप समूह के बीच आपसी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, एक ही चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित सभी उम्मीदवार एक समरूप समूह का निर्माण करेंगे और उनकी नियुक्ति केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का परिणाम है, बशर्ते कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए। एक बार जब समरूप समूह को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले समूहों या समूहों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि यह समान स्थिति वाले कर्मचारियों का लाभ देने के उद्देश्य से उचित वर्गीकरण नहीं होगा। समानता का एक स्थापित नियम यह है कि असमान को एक समान नहीं माना जा सकता और समान स्थिति वाले कर्मचारियों को वेतन समानता और सेवा लाभों के मामले में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 2 यूपीएलबीईसी 987 के मामले में, इस न्यायालय ने यह माना है कि नियुक्ति पत्र जारी करने में नियुक्ति प्राधिकारी की गलती के कारण याचिकाकर्ताओं को प्रतिकूल स्थिति में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि यह मामला नियमितीकरण से संबंधित था, लेकिन प्रबंधन द्वारा नियुक्ति आदेश विलंबित रूप से और नियमितीकरण नियमों की निर्धारित तिथि के उपरांत भी जारी किए जाने के कारण, सभी को नियमितीकरण का लाभ देने के लिए समान रूप से माना गया। इस निर्णय का अनुसरण महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (रिट संख्या 55606 ऑफ 2008) दिनांक 19/12/2019 के मामले में भी किया गया है, जिसमें एक विज्ञापन के सभी आवेदकों को चयनित होने पर एक समरूप समूह माना गया और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया, क्योंकि विज्ञापन और चयन पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करने से पहले हुए थे, भले ही नियुक्ति आदेश उपरांत में जारी किए गए हों।

14. उपरोक्त मामले को देखते हुए, हालांकि मुझे पूर्व-सैनिकों को वेतन सुरक्षा से वंचित करने के संबंध में सरकारी आदेश में कोई भेदभावपूर्ण बात नहीं दिखती, लेकिन सरकारी आदेश केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जहां उम्मीदवारों का चयन इसके जारी होने के उपरांत हुआ हो। प्रशिक्षण के लिए भेजे गए सभी व्यक्ति जिन्हें अंततः नियुक्ति दी जाएगी, एक समरूप बनाएंगे और वेतन सुरक्षा सहित ऐसे सभी लाभों के अधिकारी होंगे, और उनका दावा सरकारी आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

15. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय के संबंध में, मुझे उसमें निर्धारित विधि के बारे में कोई असहमति नहीं है, क्योंकि मेरा भी यही मत है कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों में सरकारी आदेश को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान मामले पर लागू नहीं माना जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या.. आदेश संख्या 3 के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिए गए अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ वापस करने का निर्देश दिया जाता है। उचित आदेश पारित किया जाएगा और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को परिणामी लाभ प्रदान किया जाएगा।

8. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य (पूर्वोक्त) में निम्नलिखित रूप से पठित है:

-"1. सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से श्री मनीष गोयल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री तेज भानु पांडे, स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादियों की ओर से श्री आर.के.ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, अधिवक्ता, का तर्क सुना गया।

2. ये सभी अपीलें दिनांक 09/04/2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संबंधित रिट याचिकाओं में पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिनका निर्णय रिट याचिका संख्या 10689/2024, सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य के साथ किया गया था। इस निर्णय के अन्तर्गत प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था और अपीलकर्ता संख्या 3 (यहाँ) को निर्देश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ सौंप दें, क्योंकि यह लाभ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया जा चुका है। उचित आदेश पारित किया जाएगा और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के लिए परिणामी लाभ दिया जाएगा।

3. अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य ने इन सभी अपीलों में एक ही मुद्दा उठाया है, इसलिए इन सभी की एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य आदेश द्वारा इनका निर्णय किया जा रहा है। सभी अपीलों में सम्मिलित मूल प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयनित सूची में रखे गए उम्मीदवारों को उनके नियुक्ति पत्रों की तिथि और उनके प्रशिक्षण की तिथि के आधार पर अलग-अलग वर्ग का माना जा सकता है। प्रत्येक में उम्मीदवारों से संबंधित तथ्यात्मक विवरण जैसे कि उनकी पूर्व सेवा का विवरण, नियुक्ति पत्र की तिथि और पत्र में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि की तिथि, भिन्न हो सकती है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. सुविधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण विशेष अपील संख्या 1240/2025 से लिए जा रहे हैं, क्योंकि यह दिनांक 09/04/2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश में प्रमुख याचिका थी, हालांकि, वर्तमान सामान्य आदेश का परिणाम सभी संबंधित मामलों पर लागू होगा। एकमात्र तथ्यात्मक अंतर संबंधित अपीलों में प्रतिवादियों/उम्मीदवारों की संख्या है।

5. विशेष अपील मामलों के इस समेकित समूह के अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत, यह प्रतीत होता है कि यहां सभी प्रतिवादी भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्य हैं, जो विभिन्न रेजिमेंटों में अलग-अलग समय पर भर्ती हुए थे। यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रतिवादी को उनकी सेवा अवधि पूरी होने पर सेवामुक्त या सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधि में अंतर के बावजूद, इन सभी मामलों में एक सामान्य तथ्य यह उभरता है कि सभी प्रतिवादियों ने अपनी सैन्य सेवा पूरी कर ली थी और उचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत चयनित हुए थे और उसी चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था, जो इन अपीलों के समूह का विषय है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि अक्टूबर 2018 की सीधी भर्ती के अंतर्गत तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं थी, क्योंकि प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, राज्य के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चरमबद्ध तरीके से आयोजित करना आवश्यक हो गया था, और इसलिए, उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के संबंधित चरणों के अनुरूप अलग-अलग तिथियों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। आगे बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने दिनांक 25/07/2020 के आदेश द्वारा चयनित उम्मीदवारों को चार बैचों में विभाजित किया, जिनका प्रशिक्षण अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग अवधियों के लिए निर्धारित किया गया था। इसके उपरांत, पहले बैच ने अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। दूसरे बैच ने मार्च 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। तीसरे बैच ने अक्टूबर, 2021 में 6 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रारम्भ किया, और चौथे बैच ने मई 2022 में 6 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया।

7. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुसार राज्य के अलग-अलग समय पर अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पूर्ण अधिकार था, और अपीलकर्ता राज्य द्वारा अन्य बैचों के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करना भी उचित था, जबकि उन्हें वही वेतन सुरक्षा प्रदान नहीं की गई जो पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए गए सदस्यों को दी गई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि चयन सूची को सभी उद्देश्यों के लिए एक समान वर्ग नहीं माना जा सकता है, और राज्य द्वारा उपरांत के तीन बैचों को पहले बैच से अलग रखना उचित है, क्योंकि पहले बैच ने अन्य बैचों की तुलना में पहले ही प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था।

8. यह निर्विवाद है कि पहले बैच, जिसने जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया, को वेतन सुरक्षा का लाभ दिया गया था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह है कि एक ही सूची से चयनित विभिन्न बैचों के उम्मीदवारों के साथ किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे में आता है, और इसलिए राज्य को अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण प्रारम्भ करने वाले चार बैचों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का अधिकार है।

9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियम, 2015 के नियम 19 पर भरोसा जताया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए दिया गया है:

नियम - 19. प्रशिक्षण

(1) (क) नियम 15 और 16 के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों पर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नियमावली के प्रावधान लागू होंगे। यदि बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसका चयन/उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(ख) बुनियादी प्रशिक्षण में असफल कैडेटों की पुनर्परीक्षा विभाग प्रमुख द्वारा पूरक प्रशिक्षण के पश्चात् आयोजित की जाएगी। पूरक प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षण परीक्षा में असफल उम्मीदवारों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 17 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क है कि कांस्टेबल के पद पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के लिए विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से संपन्न करना और उत्तीर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा उनका चयन निरस्त किया जा सकता है। यह निवेदन किया जाता है कि नियम अधिकारियों को पूरक प्रशिक्षण और पुनर्परीक्षा आयोजित करने तथा इसके उपरांत भी असफल होने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्त करने का अधिकार देता है, जबकि पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को भी निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है और इसलिए, प्रशिक्षण पूर्ण होने तक, राज्य वेतन संरचना में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राज्य की यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादियों का चयन 2018 में सिविल पुलिस और पीएसी में कांस्टेबल के पदों के लिए प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था और मार्च 2020 में घोषित परिणाम में उन्हें विधिवत पूर्व सैनिक श्रेणी में रखा गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 23/12/2020 का सरकारी आदेश, जिसमें यह प्रावधान है कि उक्त तिथि के उपरांत की गई सभी नियुक्तियों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि यह विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से तब जब सभी उम्मीदवारों को एक ही चयन सूची में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम चरण में नियुक्त उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने लगातार स्वीकार किया है।

12. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य, AIR 2024 SC 4404 मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि एक समान चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी उम्मीदवार एक समरूप समूह का गठन करते हैं और इस समरूप समूह के बीच आपसी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने महेस नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य. रिट याचिका संख्या 55606/2008, दिनांक 19/12/2019 को इस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया। उपरोक्त निर्णयों का संदर्भ देते हुए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस तरह का अलग व्यवहार केवल कुछ तर्कसंगत अंतर के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्यों में उपस्थित नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रशिक्षण के संबंध में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का उत्तर दिया, अर्थात् उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियम, 2015 के नियम 19 का। उनके अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा है कि प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों के लिए एक प्रक्रिया है एक बार नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की चयनित सूची तैयार हो जाने के उपरांत चयन का कोई और चरण शेष नहीं रहता। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियम, 2015 के नियम 18 का भी संदर्भ दिया, जिसे सुगम संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

नियम - 18. नियुक्ति।

(1) नियम 15 और 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी नियम 15 के खंड (जी) के अंतर्गत तैयार की गई सूची में उम्मीदवारों के नामों को उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा जिस क्रम में वे सूची में हैं। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और उन्हें निर्देश देगा कि वे पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य को लिए निर्दिष्ट किसी तिथि के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाएगा,

बशर्ते कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के अंतर्गत स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के अंतर्गत किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयन में निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उस कैडर में जहां से उन्हें पदोन्नत किया गया है, व्यक्तियों के नाम उल्लिखित होंगे:

बशर्ते कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के अंतर्गत स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसी स्थायी नियुक्ति इन नियमों के अंतर्गत की गई मानी जाएगी।

14. उपर्युक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि नियम 18 के अंतर्गत, नियम 15 और 16 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रावधान है, और उसके उपरांत ही नियम 19 के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियमों की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले जारी किया जाता है, और इसलिए, प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जैसा की विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के उपरांत आयोजित किया जाना है।

15. हमने अपीलकर्ताओं/राज्य के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता दोनों की बात सुनी है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों सहित अभिलेख का अवलोकन किया है। कुछ मूलभूत तथ्य विवादित नहीं हैं। सभी उम्मीदवारों का चयन, चाहे उन्हें उपरांत में प्रशिक्षण के लिए किसी भी बैच में भेजा गया हो, अक्टूबर 2018 में जारी एक ही भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत किया गया था। चयन सूची एक समान थी। चयन प्रक्रिया एकरूप थी, और नियुक्तियाँ एक ही भर्ती प्रक्रिया से अटूट रूप से जुड़ी हुई थी।

16- अभिलेखों के सरल अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की एक ही सीधी भर्ती के अंतर्गत की गई नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुई थी। किसी भी पक्ष का यह दावा नहीं है कि चयन सूची के लिए जारी विज्ञापन में किसी प्रकार का वर्गीकरण या श्रेणी-वार भेद किया गया था। इसके अलावा, राज्य ने यह सिद्ध नहीं किया है कि प्रशिक्षण के लिए चार अलग-लग चरणों में भेजे जाने वाले उम्मीदवारों का चयन किसी तर्कसंगत वर्गीकरण के आधार पर किया गया था।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन अपीलकर्ता राज्य द्वारा सामना की जा रही अवसंरचना संबंधी सीमाओं और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थितियों के कारण ही आवश्यक था, न कि चयन सूची में उम्मीदवारों के बीच किसी स्पष्ट अंतर के कारण। अतः उपरांत के बैचों में प्रशिक्षण के लिए रखे गए उम्मीदवारों को वंचित करना घोर मनमानापन है और शत्रुतापूर्ण भेदभाव का दोष है।

18. मननीय आतिरिक्त महाधिवक्ता के तर्क का पूर्ण आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने ही चार अलग-अलग श्रेणियां बनाई, जिससे राज्य को उपरांत के बैचों में शामिल प्रतिवादियों को वेतन सुरक्षा से वंचित करने के लिए अलग-अलग वेतन संरचनाएं निर्धारित करने का अधिकार मिल गया।

19. यद्यपि यह न्यायालय महामारी संबंधी आपात स्थितियों और अवसंरचनात्मक सीमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन इस प्रकार की बाहरी और अस्थायी प्रशासनिक बाध्यताएँ एस समरूप वर्ग के उम्मीदवारों के बीच भेदभाव को उचित नहं ठहरा सकती। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुमेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली विधिक स्थिति इतनी सुस्थापित है कि उसे विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, और स्थापित मापदंडों पर परखे जाने पर, अपीलकर्ता राज्य द्वारा दिया गया औचित्य जाँच में कसौटी पर नहीं उतरता ।

20. **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एससीसी 1** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित या भ्रामक नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मनमानी भेदभाव से बचाना है, चाहे वह किसी विधि के स्पष्ट प्रावधानों के कारण हो या किसी विधि के अनुचित अनुप्रयोग के कारण। किसी भी वर्गीकरण का आधार एक तर्कसंगत भेद होना चाहिए जिसका उद्देश्य से संबंध हो, अन्यथा, ऐसा वर्गीकरण अनुचित भेदभाव का कारण बनेगा।

21. **डायरेक्ट रिक्रूट क्लास-2 इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1990) 2 एससीसी 715** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक ही भर्ती अधिसूचना और चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले उम्मीदवार सेवा लाभों के उद्देश्य से एक ही वर्ग का गठन करते हैं। वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को नियम के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से गिनी जानी चाहिए, न कि उसकी पुष्टिकरण की तिथि से। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रशिक्षण की पूर्णता को एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच एक उप-वर्ग बनाने के लिए विचारणीय बिंदु नहीं माना जा सकता है।

22. अपीलकर्ताओं ने किसी भी वैधानिक नियम की ओर इशार नहीं किया है जो राज्य को वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण के उद्देश्य से चयन सूची के भीतर उप-श्रेणियां बनाने के लिए अधिकृत करता हो। वास्तव में, राज्य का स्वयं का दृष्टिकोण यह है कि प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध प्रेषण पूरी तरह से प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ही किया गया था। प्रशासनिक अनिवार्यता, भले ही वास्तविक हो, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संवैधानिक रूप से अनुमत भेदभाव का दर्जा नहीं दे सकती। ऐसा करने की अनुमति देने से राज्य को मनमानी या आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समान अधिकारों को खंडित करने की शक्ति मिल जाएगी, एक ऐसी प्रथा जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार स्वीकार किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



23. अतः, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निर्णय सही था कि प्रतिवादियों और अन्य समान रूप से स्थित उम्मीदवारों, जिनका चयन अक्टूबर, 2018 की उसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, को वेतन सुरक्षा और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, जो प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के पहले बैच को दिए गए थे। संवैधानिक मानकों के स्वतंत्र अनुप्रयोग पर, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

24. उपरोक्त कारणों से, हमारा यह मत है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच केवल प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की तिथियों के आधार पर किया गया भेदभाव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए एक अस्वीकार्य वर्गीकरण है।

25. राज्य द्वारा पहले बैच को दी गई वेतन सुरक्षा और संबंधित वेतन संरचना का लाभ, दूसरे, तीसरे और चोथे बैच के उम्मीदवारों से नहीं रोका जा सकता, जो उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे और उसी चयन सूची में रखे गए थे।

26. अतः, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। विशेष अपीलों का यह समूह तदनुसार विफल हो जाता है और निरस्त कर दिया जाता है। प्रतिवादियों और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य सभी उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण और परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश की पुष्टि की जाती है। राज्य इस आदेश की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तों उसका निस्तारण कर दिया गया है।

9. तदनुसार, दिनांक 07.08.2023 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है, मामले को अधिकारियों को वापस भेजा जाता है ताकि वे उपरोक्त निर्णय के अनुसार दो महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करें।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”